जीवन बीमा निगम के लाभांश की तुलना में कम है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में सरकार को भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगत भाई बारोट): (क) जीवन बीमा निगम ने प्रीमियमों की अपनी चालू दरों पर विचार करने तथा उन दरों में संशोधन करने के लिए बीमांकिक आधार पर को सिफारिश करने के लिए बीमांककों की एक समिति नियुक्त की थी। बीमांककों की रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम ने प्रीमियमों की अपनी दरों में 1-4-1980 से संशोधन कर दिया है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप अधिकतर योजनाओं के अधीन दरें कम कर दी गई है और मनी बैक योजना के अधीन दरें थोड़ी-सी बढ़ा दी गई हैं।

(ख) से (घ) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की शर्तों के अनुसार द्विवार्षिक मूल्यांकन में दिखाए गए बीमांकिक अधिशेष का 95 प्रतिशत भाग जीवन बीमा पालिसी धारियों के लिए नियत अथवा आरक्षित कर दिया जाता है। 31-3-1979 को घोषित पिछले बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार बन्दोबस्ती बीमा पालिसियों के मामले में बीमे की प्रति एक हजार रुपये की राशि पर 24.80 रुपए वार्षिक तथा आजीवन बीमा पालिसियों के मामले में बीमे की प्रति एक हजार रुपए की राशि पर 31 रुपए वार्षिक के हिसाब से बोनस की घोषणा की गई थी जो 31-3-1977 के इससे पहले बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार घोषित बोनस के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक है। फिलहाल बोनस दरों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अफीम उत्पादकों द्वारा, अफीम की कीमत निर्धारित किये जाने की मांग

782. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों, कृषि निवेश के मूल्यों तथा बिजली और श्रमिकों की दरों में हो रही वृद्धि को देखते हुए किसानों को अफीम का जो मूल्य दिया जा रहा है वह बहुत कम है और क्या किसानों ने अफीम की कीमतों में वृद्धि करने की मांग की है।

(ख) क्या यह सच है कि अफीम उत्पादकों ने अफीम का मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किए जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): (क) से (ग) काश्तकारों को अफीम का जो मूल्य अदा किया जा रहा है वह अन्य नकदी फसलों के मुकाबले काफी लाभप्रद है। अन्तर्गामी माल की लागत में हुई वृद्धि आदि को देखते हुए, पोस्त काश्तकारों को देय अफीम के मूल्य को बढ़ाने के सिलसिले में कुछ दरख्वास्तें मिली हैं। लेकिन इस समय भारतीय अफीम को, कुछ अन्य देशों द्वारा उत्पादित पोस्त की भूसी और पोस्त की भूसी के सांद्रणों जैसी वैकल्पिक कच्ची सामग्री के साथ कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। विश्व में स्वापक पदार्थों की आपूर्ति मांग से कहीं अधिक बढ़ गई है जिसके परिणामतः स्वापक पदार्थों के मूल्यों में भारी गिरावट आई है। भारतीय अफीम के लिए निर्यात-बाजार की इन प्रतिकूल

परिस्थितियों में, काश्तकारों को देय अफीम के मूल्य में वृद्धि कर पाना मुमकिन नहीं है।

Setting up of a National Bank for Agriculture and Rural Development

783. SHRI AMARSINH RATHAWA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Expert Committee set up by the Reserve Bank to go into the setting up of a Naional Bank for Agriculture and Rural Development has submitted its report;

(b) if so, the broad outlines of the recommendations made by the Committee; and

(c) the reaction of the Government in regard thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) to (c). Yes Sir, The Committee appointed by the Reserve Bank of India under the chairmanship of Sh. B. Sivaraman to undertake review of the institutional arrangements for rural credit, has submitted an interim report to RBI on 28-11-79 in which it has recommended the setting up of a National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD). The Government has agreed in principle to set up the said Bank. The necessary legislation is under the consideration of Government.

जाली करेंसी नोट बनाने वाले गिरोह

784. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जाली करेंसी नोट बनाने वाले गिरोहों की बढ़ती हुई संख्या की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो ऐसे गिरोहों की गतिविधियां समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि में ऐसे कितने गिरोह पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 1980 से अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान जाली करेंसी नोट छापने का काम करने वाले केवल दो गैंगों की रिपोर्ट मिली है। इन में से एक मामले का पता पंजाब पुलिस ने लगाया था जिसमें छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले को पुलिस स्टेशन संख्या 3, लुधियाना में दर्ज किया गया है। दूसरे मामले का पता दिल्ली पुलिस ने लगाया था जिसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और मामला दर्ज कर लिया गया है। इन दोनों मामलों की जांच में प्रगति हो रही है और अपराधियों के साथ देश के कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

उपर्युक्त दो मामले होने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जालसाजी की घृणित और गैर-कानूनी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है।

कानून में जालसाजी से सम्बन्धित अपराधों के लिए निवारक दण्ड की व्यवस्था है। राज्य के पुलिस अधिकारी इस सम्बन्ध में लगातार चौकसी रखते हैं और किसी व्यक्ति द्वारा जालसाजी के बारे में कोई सूचना मिलने पर छापे आयोजित करते हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आर्थिक अपराध संघ में जाल साजी के गंभीर अपराधों की जांच करने